न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या:– 43 / 2022
प्रकरण दायर दिनांक:–23.02.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक:–24.02.2026

उनवान

1. हरिसिंह पुत्र रामस्वरूप
2. बाबूलाल पुत्र दुलाराम
3. सत्यनारायण पूण दुलाराम

} जातियान गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा
:–वादीगण

बनाम

1. रघुवीर
2. रामेश्वर
3. बाबूलाल

} पुत्रान कन्हैयालाल } समस्त जाति गुर्जर निवासी बाढ बगीची

4. जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण
5. मुकेश कुमार पुत्र गिर्राज प्रसाद

} समस्त जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा

6. प्रहलादसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

– प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण निर्णय दिनांक 24.02.2026

वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण जर्ये वकील श्री अमरसिंह गुर्जर के इस आशय से पेश किया कि गाँव श्यालावास कला पटवार हल्का श्यालावास कला तहसील बसवा जिला दौसा के खाता सं. नया 6 पुराना 6 के खसरा नं. 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर बारानी ए. कुल किता 01 कुल रकबा 0.13 हैक्टेयर लगानी 2 रूपये 8 पैसे स्थित है जो वादीगण की कब्जे काश्त, खातेदारी की भूमि है। जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादीगण का भूमि वादग्रस्त से कोई लेना देना नही हैं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 पडौसी खातेदार है उक्त भूमि वादग्रस्त वादीगण व वादीगण के अन्य परिवारजन की तन्हा कब्जे काश्त, खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के इन्सान है जो जबरन वादीगण की आराजियात में जबरन कब्जा करना चाहते है और आये दिन दखलान्दाजी करते रहते है। वादीगण ही उक्त भूमि वादग्रस्त के काश्तकार खातेदार है। प्रतिवादीगण दिनांक 15.02.2022 को वादीगण के कब्जे काश्त के खेत खसरा नं. 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर पर बनी डौल को तोडने लगे और वादीगण के साथ गाली गलोच करने लग गये और वादीगण के खेत में जबरन निर्माण करने पर आमादा होने लगे व उपयोग उपभोग में

४५६–

व्यवधान डालने लगें। वादीगण के उक्त खेत प्रतिवादीगण सं० 01 लगायत 06 के खेत के नजदीक होने के कारण प्रतिवादीगण उन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादीगण खेत में बाधा नही डालने को कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐलानिया चेतावनी देते हुए धमकी दी है कि ये खेत हमारे खेतो के नजदीक है हम जबरन इन पर पुख्ता बाउन्ड्री का निर्माण करके कब्जा कर के रहेगे। तुम अगर इसमें फसल बोओगे तो उसे अपने पशुओं को खुला छोडकर नष्ट करवा देगे और तुम्हे जबरन ताकत के बल पर बेदखल करके अपना कब्जा करके रहेगे अगर प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही हो सकेगी। प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी की भूमियों में जबरन कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नही है तथा कहते है कि हम, तुम्हारी फसल को आवारा पशुओं से नष्ट करवा देगें। प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये और वादीगण को अपने जबरन बेदखल कर दिया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर सम्भव नही हो सकेगी। वादीगण को अनेकों किस्म के मुकदमो में उलझना पडेगा जिससे वादीगण के धन व समय की बर्बादी होगी। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर से पाबन्द किया जाना इन्साफन व कानूनन न्यायोचित है कि वे स्वयं अपने परिवारजन, नौकर, एजेन्ट, अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से वादीगण की खातेदार की भूमि के खेत खसरा नं. 354 पर जबरन कब्जा करने का प्रयास न करे, किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता निर्माण नही करे वादीगण की फसल को नुकसान न पहुँचाये। वादीगण को फसल एवं प्रकृतिक उपज प्राप्त करने में रूकावट पैदा ना कर, उपरोक्त आराजियात को वादीगण के हक अधिकार एंव कब्जे काश्त की भूमि में वादीगण को फसल बोते व काटते समय कोई व्यवधान पैदा ना करे। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.02.2022 को वादीगण की खाम डौल मे तोडफोड करने से व उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा करके जबरन कब्जा करने की धमकी देने से वाद पत्र अन्दर मियाद पेश है। भूमि वादग्रस्त माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इस कारण वाद पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञ मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि वादीगण को वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। प्रतिवादीगण स्वयं, अपने परिवारजन, नौकर एजेन्ट, मददगारान से वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नं 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर के खेतों पर जबरन कब्जा करने का प्रयास न करें। उक्त भूमि मे वादीगण को फसल बोते व काटते समय कोई व्यवधान उत्पन्न न करे एवं किसी प्रकार का कोई पुख्ता निर्माण नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 7 बावजूद रजिस्टर्ड सम्मन न्यायालय उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 6 की ओर से एड. श्री वीरेन्द्र सिंह कुशवाह ने पावर पेश कर जबाब दावा पेश किया कि चरण नम्बर 01 में खाता संख्या नया 6 पुराना 06 खसरा नम्बर 354 रकबा 0. 13 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.13 हैक्टेयर वाके रामा श्यालावास कला तहसील बसवा जिला दौसा जिसे इस वादपत्र में भूमि वादग्रस्त बताया गया है का स्थित होना मात्र स्वीकार है। इस चरण में उक्त भूमि काश्त पर वादीगण का कब्जा होना, वादीगण ने गलत दर्ज किया है। इस चरण में वादीगण ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 354 का केवल वादीगण की खातेदारी में दर्ज होना भी वादीगण ने गलत दर्ज किया है इस भूमि खसरा

aYE—

नम्बर 354 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में 22 व्यक्ति खातेदार दर्ज है। वादीगण ने अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिये भी कानूनन दावा पोषणीय नहीं है। चरण नम्बर 02 वादपत्र गलत दर्ज किया है। अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर पर उत्तरदातांगण अर्सा पूर्व से काबिज चले आ रहे है। भूमि वादग्रस्त पर वादीगण व उनके अन्य परिवारजन का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। केवल रिकॉर्ड में खातेदारी मात्र दर्ज है। भूमि वादग्रस्त पर उत्तरदातागण अर्सा पूर्व से निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है। इसलिये भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर पर जबरन कब्जा करना चाहने का और आये दिन दखलन्दाजी करते रहने का कथन अपने आप में झूठा दर्ज किया है क्योंकि उत्तरदातागण अर्सा पूर्व से, वादीगण द्वारा कथित वादपत्र प्रस्तुत करने के पूर्व से ही भूमि वादग्रस्त पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिये उत्तरदातागण द्वारा भूमि वादग्रस्त पर जबरन कब्जा करना चाहना और दखलन्दाजी करते रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। चरण नम्बर 03 वादपत्र गलत दर्ज किया है जो अस्वीकार है। उत्तरदातागण भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर स्थित वाके रामा श्यालावास कला पर पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। इस चरण में वादीगण ने, प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.02.2022 को खेत खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर पर बनी डोल को तोडने लगने और वादीगण के साथ गाली गलौच करने व उक्त खेत में जबरन निर्माण करने पर आमादा होने व उपयोग उपभोग में व्यवधान डालने लगने तथा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने व वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से, वादीगण के खेत में बाधा नहीं डालने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया चेतावनी देते हुये यह धमकी देना की खेत हमारे नजदीक होने से हम इस पर जबरन पुख्ता बाउण्ड्री का निर्माण करके रहेगे और यह कथन की तुम इसमें फसल बोओंगे तो इसमें अपने पशुओ को छोडकर नष्ट कर देंगे ओर ताकत के बल पर जबरन कब्जा करके रहने तथा प्रतिवादीगण के अपने मकसद में कामयाब होने पर वादीगण को अपूर्णीय क्षति होने व उसकी पूर्ति किसी प्रकार सम्भव नहीं होने तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जे करने का कोई हक व अधिकार नहीं होने तथा फसल का आवास पशुओ से नष्ट करवा देने सम्बन्धि समस्त तथ्य गलत झूठे बेबुनियाद दर्ज किये है। उत्तरदातागण उक्त भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 पर अर्सा पूर्व से ही निर्बाद रूप से काबिज चले आ रहे है। इसलिये उत्तरदातागण द्वारा भूमि मुतदाविया में जबरन कब्जा व निर्माण करने पर आमादा होने तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में व्यवधान डालने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है भूमि वादग्रस्त पर वादीगण कभी भी काबिज काश्त नहीं रहे। इस भूमि पर उत्तरदातागण अर्सा पूर्व से काबिज चले आ रहे है। चरण नम्बर 04 वादपत्र, गलत दर्ज किया गया है। जो अस्वीकार है। भूमि वादग्रस्त पर उत्तरदातागण अर्सा पूर्व से निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण को दावा हाजा लाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर पर वादीगण कभी काबिज काश्त नही रहे और ना ही दावा लाने के समय काबिज थे। भूमि वादग्रस्त पर अर्सा पूर्व से उत्तरदातागण ही काबिज चले आ रहे है। ऐसी स्थिति मे जबकि वादीगण भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर पर कभी काबिज ही नहीं रहे तो उन्हे जबरन बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है इसलिये उन्हें अपूर्णीय क्षति कारित होने तथा अनेको किस्म के मुकदमों में उलझना पडने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण ने यह दावा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिये प्रश्तुत किया है चूंकि भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 354 पर वादीगण कभी काबिज काश्त ही नहीं रहे भूमि वादग्रस्त पर उत्तरदातागण लगातार निर्बाध रूप से अर्सा पूर्व से काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिये वादीगण, उत्तरदातागण के विरूद्ध

४५६—

भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर के उपयोग उपभोग निर्माण करने से उत्तरदातागण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित कराने के कानूनन अधिकारी नही है। भूमि वादग्रस्त काबिज काश्त नही है। भूमि वादग्रस्त पर वादीगण का काश्त करना भी वादीगण ने गलत दर्ज किया है। चरण नम्बर 05 वादपत्र, गलत दर्ज किया गया है जो अस्वीकार है। इस चरण में वादीगण ने, प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.02.2022 को खाम डौल में तोड फोड करने से व उपयोग उपभोग में व्यवधान करने व जबरन कब्जा करने की धमकी देने से अन्दर मयाद वादपत्र पेश करना भी गलत दर्ज किया है। भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 354 पर उत्तरदातागण अर्सा पूर्व से निर्बाद रूप से काबिज चले आ रहे है। वादीगण उक्त भूमि वादग्रस्त पर कभी काबिज काश्त नहीं रहे इसलिये वादीगण के हक में दावा लाने का कथित वादकारण उत्पन्न होना भी वादीगण ने गलत व बेबुनियाद दर्ज किया है। वादीगण के हक में दिनांक 15.02.2022 को वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादीगण के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दीगर मुकदमा संख्या 267/2021 उनवानी हरीश सिंह वगैराह बनाम राजस्थान सरकार जो कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर स्थित वाके रामा श्यालावास कलां के बाबत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसका सीमाज्ञान दिनांक 08.12.2021 को राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया था जिसमें मौके पर, उक्त भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर पर खातेदारान का मौके पर कब्ज़ा काश्त होना नहीं पाया गया, मौका निरीक्षण कर राजस्व अधिकारियों द्वारा जिसकी जाँच रिपोर्ट दिनांक 07.03.2022 को तैयार की जाकर मुकदमा संख्या 267/21 उनवानी हरीसिंह वगैराह बनाम राजस्थान राज्य में प्रस्तुत की थी इस जॉच रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के उपरान्त वादीगण ने बिना किसी अधिकार के यह दावा हाजा, गलत रूप से कानूनी प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुये तथा न्यायालय हाजा को गुमराह करने की नियत से गलत कहानी गढकर तथा काल्पनिक रूप से 15.02.2022 की घटना गढ़कर यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। यह कि चरण संख्या 06 वादपत्र कानूनी है। यह कि चरण नम्बर 07 वादपत्र में भूमि वादग्रस्त का माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होना मात्र स्वीकार है। लेकिन इस वादपत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त होने का कथन गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। भूमि वादग्रस्त का न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने मात्र से न्यायालय हाजा को वादपत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादीगण के हक में वाद कारण उत्पन्न नही होने से. वादीमण को दावा हाज़ा लाने का कानून्न अधिकार प्राप्त नहीं होने से माननीय न्यायालय हाज़ा को दावा हाजा का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि चरण नम्बर 07 वादपत्र में भूमि वादग्रस्त का माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होना मात्र स्वीकार है। लेकिन इस वादपत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त होने का कथन गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। भूमि वादग्रस्त का न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने मात्र से न्यायालय हाजा को वादपत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादीगण के हक में वाद कारण उत्पन्न नही होने से. वादीमण को दावा हाज़ा लाने का कानून्न अधिकार प्राप्त नहीं होने से माननीय न्यायालय हाज़ा को दावा हाजा का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अनुतोष अस्वीकार है। प्रकरण में तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को सुनाई गयी। वादी वकील द्वारा वाद की ताईद में हरिसिंह पुत्र रामस्वरूप, सत्यनारायण पुत्र दुलाराम, बाबूलाल पुत्र दुलाराम, डूंगाराम पुत्र आनंदा का साक्ष्यवादी शपथ पत्र पेश किया। परंतु जिरह के वक्त गवाह उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय द्वारा वादी साक्ष्य बंद की गयी। प्रतिवादी वकील द्वारा प्रहलाद सिंह पुत्र कानसिंह का साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र पेश किया गया। जबाब दावे के समर्थन में

प्रतिवादी द्वारा निम्न दस्तावेज प्रदर्श पेश किये गये वादग्रस्त भूमि की मौका जॉच रिपोर्ट–प्रदर्श–D1, वादग्रस्त भूमि के खातेदारान हरिसिंह, सत्यनारायण, मानसिंह, डूंगाराम, के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट की प्रमाणित प्रति –प्रदर्श D2, उक्त प्रकरण का न्यायालय हाजा द्वारा खारिज आदेश दिनांक 17.05.2024–प्रदर्श D3, उक्त प्रतिवादी गवाह से वादी वकील द्वारा जिरह पूर्ण की गयी।

वकील उभयपक्ष द्वारा बहस की गयी। वादी वकील द्वारा बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। बहस में प्रतिवादी वकील ने तर्क दिया कि वादी प्रतिवादीगण को भूमि खसरा नंबर 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर के खेतो पर जबरन कब्जा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करने एवं किसी प्रकार का कोई पुख्ता निर्माण करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है परंतु पटवारी हल्का श्यालावास कलां एवं भू.अ.नि. बांदीकुई मौका जॉच रिपोर्ट ग्राम बाढ बगीची दिनांक 07.03.2022 प्रदर्श डी–1 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है और जब तक विवादित भूमि का कब्जा ही वादीगण के पास नहीं हो तो वादी प्रत्यर्थी कब्जे के अभाव में स्थायी व्यादेश के अनुतोष का दावा नहीं कर सकता है विशिष्ठतया तब जबकि उसने कब्जा वापस लेने की प्रार्थना नहीं की। इस बाबत प्रतिवादी की ओर से एड.श्री वीरेन्द्र सिंह कुशवाह ने न्यायिक दृष्टांत पेश किया कि–

[Citation 2011(3) DNJ(Raj.)1188]- RAJASTHAN HIGH COURT [JAIPUR BENCH] HON'BLE MR. JUSTICE MOHAMMAD RAFIQ [S.B Civil Civil Second Appeal No.15 of 1984; decided on 21.07.2011 Raj Dulari (Smt.) Vs. Ram Niwas and Raghuveer Chaturvedi and JDA

जिसके अनुसार– (1)Planintiff respondent could not claim relief of permanent injunction in absence of possession particularly when he did not pray for recovery of passion

(2) Relief of permanent injunction cannot be claimed in absence of the possession

अतः वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है जिसमे जमाबंदी रिकॉर्ड अनुसार वादीगण उक्त भूमि के खातेदार साबित है परंतु पटवारी हल्का श्यालावास कलां एवं भू.अ. नि. बांदीकुई मौका जॉच रिपोर्ट ग्राम बाढ बगीची दिनांक 07.03.2022 अनुसार ग्राम बाढ बगीची के खाता संख्या 6 खसरा नंबर 354 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि में वादीगण हरिसिंह पुत्र रामस्वरूप, सत्यनारायण पुत्र दुलाराम, मानसिंह पुत्र रामस्वरूप, डूंगाराम पुत्र आनंदा गुर्जर सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 08.12.2021 को किया जा चुका है। मौके पर उक्त भूमि पर खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। अतः उक्त विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा कब्जा साबित नहीं होता है ना ही वादीगण द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज पत्रावली में पेश किये गये। अतः वादीगण वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

a५६–

अतः उपरोक्त विवेचन से एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार वादी वाद दावा स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को सुनाया जाकर एवं टंकित करवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

24/2/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

... एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

प्रकरण संख्या–43/2022

रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

हरसिंह वगै० बनाम रघुवीर वगै०

किस्म मुकदमा दावा स्थायी नि० नं० 43 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	23/02/2026 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से कारण तारीख पेशी हो गई। आदेश की पालना में दिनांक 24/02/26 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर 24/02/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादपत्र, जवाब दावा एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण वाद दावास्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण कैफियत शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी - बांदीकुई -	